17/2/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप. पार वारी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवा कर शामिल मिसल किया गया। इसकी प्रति लगा पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/361

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 286/2022 GCMS:- 2022/361 **दायर दिनांक 17.10.2022**

बिशनाराम पुत्र श्री जगराम जाति नायक निवासी चक 2 जीएसएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

——वादी

बनाम

1. देवेन्द्र आसेरी पुत्र पुरखाराम आसेरी जाति मोची निवासी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 आरटीए

उपस्थित :–

(1) श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी, अभिभाषक वादी

(2) पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

निर्णय दिनांक 17.02.2025

पत्रावली पेश हुई, वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि चक 2 जीएसएम तहसील सूरतगढ के खाता सं. 30 नई 56 पुरानी में प0न0 160/439 मु0न0 30 कि0न0 3/1, 3/2, 4/1,4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 13 ता 18, 24 व 25 व प0न0 160/440 मु0न0 37 कि0न0 4 ता 7 व 14 की कुल 4.807 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में वादी के नाम सें 721/4807 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 1 के नाम सें 39/4807 हिस्सा भूमि अंकित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 संलग्न वाद पत्र है। चक 2 जीएसएम तहसील सूरतगढ के खाता सं. 56/51 में प0न0 160/439 मु0न0 30 कि0न0 3/1, 3/2, 4/1,4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 13 ता 18, 24 व 25 व प0न0 160/440 मु0न0 37 कि0न0 4 ता 7 व 14 की कुल 4.807 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि सुलखण सिह वल्द सुन्दर सिंह मजबी के नाम से थी जो कि विरास्तन इन्तकाल सं. 339 दिनांक 06.02.2016 को अमरजीत कौर को 0.2405 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुई। गुरप्रीत सिंह वगै0 द्वारा अपना हिस्सा बेचान किया गया जो कि इन्तकाल सं. 342 दिनांक 21.03.2016 बैयनामा द्वारा वादी बिश्नाराम द्वारा 0.721 है0 भूमि गुरप्रीत सिह वगै0 से खरीद की गई। नकल चित्रप्रति जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 संलग्न वाद पत्र है। दिनांक 28.04.2017 को जरिये पंजीकृत बैयनामा उपपजीयक राजियासर द्वारा अमरजीत कौर पुत्री बलकार सिह ने अपने नाम से अंकित चक 2 जीएसएम तह0 सूरतगढ के प0न0 160/449 कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 24 व 25 3.542 है0 व प0न0 160/440 कि0न0 4 ता 7, 14 की 1.265 है0 कुल 4.807 है0 [illegible] 0.2405 है0 हिस्सा मे सें 0.039 है0 भूमि वादी बिशनाराम द्वारा ख[illegible] पत्र है। दिनांक 28.04.2017 को अमरजीत कौर के द्वारा उक्त [illegible] अंकित भूमि मे से वादी को बेचान किये जाने के बाद शेष रहे 0.2015 है0 हिस्सा व निर्मलजीत कौर के द्वारा अपनी 0.2405 है0 इस प्रकार कुल 0.4419 है0 भूमि को प्रति[illegible] सं. 1 देवेन्द्र आसेरी को बेचान

क्रमश

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। नकल बैयनामा संलग्न वाद पत्र है। उक्त भूमि का बैयनामा का राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज करते हुये पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल सं. 370 दिनांक 20.01.2018 में प्रतिवादी सं.1 देवेन्द्र आसेरी के नाम सें 0.4419 है0 भूमि के बजाय 0.481 है0 भूमि का इन्तकाल दर्ज कर दिया। जबकि प्रतिवादी सं. 1 के नाम सें 0.4419 है0 भूमि का ही इन्तकाल दर्ज किया जाना था तथा शेष 0.039 है0 भूमि वादी की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपना हिस्सा 0.442 है0 दारा सिंह को बेचान कर दिया गया। क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 को मालूम था कि उसके नाम सें 0.039 है0 भूमि का अंकन अधिक है, प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त गलत अंकित हुई भूमि को छोड़ते हुये शेष भूमि का बेचान कर दिया। शेष रही 0.039 है0 भूमि रिकार्ड में आज भी प्रतिवादी के नाम सें चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में 0.039 है0 भूमि जो वादी की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की भूमि है जिसें वादी प्रतिवादी सं. 1 के नाम सें कलमजन करवाकर मुताबिक बैयनामा दिनांक 28.04.2017 उपंपजीयक राजियासर के अपने नाम से करवाने का विधिक रुप से अधिकारी है। वादी तहसीलदार राजस्व सूरतगढ से मिला और मुताबिक बैयनामा 0.039 है0 भूमि को अपने नाम सें अंकन करने बाबत कहा तो तहसीलदार राजस्व ने कहा कि उक्त भूम राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित है। इसलिये उक्त भूमि को अपने नाम सें अंकन करवाने हेतू सक्षम न्यायालय मे कानूनी कार्यवाही करो। इसलिये वादी के द्वारा अपना यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दिंनाक 05.09.2023 को इकबाल दावा प्रस्तुत की वादी द्वारा मांगे गये अनुतोष से किसी प्रकार का कोई एतराज पेश नहीं किया गया, इसलिये वाद पत्र मे कोई तनकी कायम नहीं की गई। वादी के द्वारा दिंनाक 14.09.2023 को वाद को सिद्ध करने के लिये शपथ पत्र व साक्ष्य वादी किये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमे उन्होने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मुताबिक बैयनामा 28.04.2017 के मुताबिक चक 2 जीएसएम तहसील सूरतगढ के खाता सं. 30 मे खाता की कुल 4.807 है0 भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित 39/4807 हिस्सा यानि 0.039 है0 भूमि मे प्रतिवादी का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने की घोषणा चाही। मुताबिक घोषणा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वादी के नाम से अंकित करने के आदेश चाहे।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया दस्तावेजो के अवलोकन से यह साबित होता है कि जैरवाद रकबा वादी द्वारा जरिये बैयनामा दिंनाक 28.04.2017 द्वारा खरीदशुदा है एंव यह तथ्य निर्विवाद है कि इन्तकाल दर्ज करते समय जैरवाद 0.039 है0 रकबा जो वादी के नाम से दर्ज किया जाना था प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज किया जा चुका है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी जरिये इकबालदावा वादी का वाद पत्र स्वीकार करने की सहमति प्रदान की है। अतः उक्त विवेचना अनुसार हम वादी का वाद पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है जैर वाद रकबा मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम सें दर्ज 0.039 है0 रकबा का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम सें दर्ज 0.039 है0 रकबा कलमजन कर वादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाक 17.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

आ0 21 रुल 6, 7 जाब्ता दीवानी
डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अजअदालत – सहायक जिलाधीश एंव आंवटन अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – संदीप कुमार आर.ए.एस.

अनवान :

बिशनाराम पुत्र श्री जगराम जाति नायक निवासी चक 2 जीएसएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. देवेन्द्र आसेरी पुत्र पुरखाराम आसेरी जाति मोची निवासी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 आरटीए मुकदमा नम्बर 286/2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे व हाजिर वकील वादी श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी व पैरोकार राज के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि बैयनामा दिंनाक 28.04.2017 चक 2 जीएसएम तहसील सूरतगढ के खाता सं. 30 नई 56 पुरानी में प0न0 160/439 मु0न0 30 कि0न0 3/1, 3/2, 4/1,4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 13 ता 18, 24 व 25 व प0न0 160/440 मु0न0 37 कि0न0 4 ता 7 व 14 की कुल 4.807 है0 खातेदारी कृषि भूमि में 0.039 है0 जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित है को कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है

उपरोक्तानुसार जारी डिक्री की पालना जरिये इजराय करवाई जावे।

नोज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह ..... फसदों की पालना ..... आज तारीख से तारीख वसूल वो तक की अदा करे।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.02.25 को जारी की गई

सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested